रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 1999/आषाढ़ 21, 1921
No. 167] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 1999/ASADHA 21, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1999

विषयः चीन और जापान में बनने वाली या वहाँ से निर्यात की जाने वाली विटामिन सी पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा का प्रारंभ।

सं. 11/1/99-डीजीएडी.—मैसर्स अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइजेज लि. द्वारा दायर की गई दिनांक 27 जनवरी, 1997 की याचिका के अनुसरण में, सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क का निर्धारण तथा वसूली और क्षति का निश्चयन) नियमावली, 1995 के अंतर्गत प्राधिकारी ने, चीन और जापान में बनी और वहाँ से निर्यात की जाने वाली विटामिन सी (जिसे इसके बाद उत्पाद कहा जाएगा) के पाटन के मामले में दिनांक 25 मई, 1998 की अधिसूचना सं. 10/1/97-एडीडी के द्वारा अन्तिम निष्कर्षों को अधिसूचित किया। तदनुसार भारत सरकार, राजस्व विभाग द्वारा उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। उक्त निष्कर्ष और उसके अनुसरण में लगाया गया शुल्क जांच अवधि के रूप में अप्रैल-दिसम्बर, 1996 से संबंधित था।

2. मैसर्स अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइजेज लि. ने अनुरोध किया कि विटामिन सी पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की जाए और पूर्वोक्त देशों की निर्यात कीमतों में और अत्यधिक गिरावट आने के संदर्भ में उक्त शुल्क में वृद्धि की जाए। इसके परिणामतः पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है और देशी उद्योग को क्षति हुई है।

3. **देशीय उद्योग की हैसियत-** समीक्षा याचिका मैसर्स अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइजेज लि. द्वारा दायर की गई है जिसका पंजीकृत कार्यालय गोर्वा रोड, बड़ौदा, गुजरात-390007 में है । जाँच की वर्तमान अवधि में याचिकाकर्त्ता विटामिन सी का एकमात्र उत्पादक है, इसलिए पूर्वोक्त नियमों के अन्तर्गत देशी उद्योग की ओर से उसकी लिखित याचिका दायर करने की हैसियत है।

4. **विचाराधीन उत्पाद** - विचाराधीन उत्पाद, विटामिन सी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 के सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 2936.27 और आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण मात्र संकेतात्मक है और वर्तमान समीक्षा के विषय-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

5. **पाटन** - याचिकाकर्त्ता ने चीन और जापान में विटामिन सी के सामान्य मूल्य के बारे में उपर्युक्त सूचना दी है और इसका निर्यात मूल्य वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा संकलित आंकड़ों पर आधारित है । निर्यात कीमतों में आई अत्यधिक गिरावट के संबंध में उपयुक्त साक्ष्य प्रदान करते हुए, याचिकाकर्त्ता ने जांच की पूर्ववर्ती अवधि में उसकी तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पाटन मार्जिन का आरोप लगाया है ।

6. इस प्रकार इसका प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि जाँच की वर्तमान अवधि में चीन और जापान से विटामिन सी के आयात के संबंध में पाटन मार्जिन में दिनांक 25.5.98 को अधिसूचित निष्कर्षों में विचारित पाटन मार्जिन की तुलना में वृद्धि हुई है ।

7. **क्षति** - याचिकाकर्त्ता ने पूर्वोक्त देशों द्वारा निर्यात कीमतों में और गिरावट करने के कारण, याचिकाकर्त्ता को हुई अतिरिक्त क्षति के पर्याप्त साक्ष्य दिए है । इस प्रकार संबंधित उत्पाद पर लगाए जा चुके पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, चीन और जापान के निर्यातकों द्वारा कीमतों में और गिरावट लाने से समाप्त हो गया है । कीमत में मन्दी आने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी है क्योंकि देशी उद्योग को अपनी कीमतों की तुलना निर्यात कीमतों से करनी होती है जिससे याचिकाकर्त्ता द्वारा उठाई जा रही हानि में वृद्धि हुई है ।

8. इस आशय का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि भारत में विटामिन सी के देशी उद्योग को चीन और जापान के आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा निर्यात कीमत में और कमी करने से क्षति हुई है और क्षति का वर्तमान मार्जिन, ऊपर बताई गए पूर्ववर्ती निष्कर्षों में उल्लिखित क्षति मार्जिन से अधिक है ।

9. **प्रक्रिया** - अतः नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क का निर्धारण और वसूली और क्षति के निश्चयन के लिए) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत दिनांक 25.5.1998 की अधिसूचना

सं. 10/1/97-एडीडी द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों की समीक्षा प्रारंभ करते हैं ।

10. इस समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 1998 से 31 दिसम्बर, 1998 है ।

11. ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और देशी उद्योग को अलग-अलग लिखा जा रहा है ताकि निर्धारित रूप में संगत सूचना प्राप्त हो सके । अन्य इच्छुक पार्टियों को परामर्श दिया जाता है कि वे जांच से संबंधित अपने निवेदन निर्धारित रूप में इन्हें भिजवां :-

श्रीमती रति विनय झा,
नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव,
वाणिज्य मंत्रालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110011.

12. समय सीमा - वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भिजवाई जाए ताकि ऊपर दिए गए पते पर प्राधिकारी को जानकारी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर मिल सके । तथापि जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें यह जानकारी पत्र अलग-अलग लिखे जाने की तारीख से 40 दिन के भीतर देनी होगी।

13. नियम 6 (7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पार्टी अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय भाग वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के बाद कर सकती है ।

14. यदि जहाँ कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक जानकारी उपयुक्त अवधि में देने से मना करती है और नहीं देती है, या जांच में विशेष रूप से बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जो वे ठीक समझें।

रति विनय झा, नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1999

Subject: Initiation of review of anti-dumping duty imposed on Vitamin C originating in or exported from China and Japan.

....

No. 11/1/99-DGAD.—In pursuance of a petition dated 27th January, 1997 filed by M/s AmbaLal SaraBhai Enterprises Ltd., the Authority under the Custom Tariff(Amendment) Act,1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 notified final findings vide notification No. 10/1/97-ADD Dt. 25th May,1998 in the matter of dumping of Vitamin C (herein after referred to as the product) originating in or exported from China and Japan . Accordingly Anti-Dumping Duty was imposed on the product by the Govt. of India. Deptt. of Revenue, Ministry of Finance. The said findings and the duty imposed pursuant thereto related to April-December,1996 as the period of investigation.

2. M/s AmbaLal SaraBhai Enterprises Ltd. requested for review of anti-dumping duty imposed on Vitamin C and increase of the same in the context of further steep decline in the export prices of aforesaid countries. and consequential increase in the dumping margin and injury to the domestic industry.

3. Domestic Industry Standing : The review petition is filed by M/s AmbaLal SaraBhai Enterprises Ltd. having Registered Office at Gorwa Road, Baroda, Gujrat-390007. The petitioner is the only producer of Vitamin C in India during the current Period of Investigation and, therefore, have a standing to file a written petition on the behalf of domestic industry under the Rules aforesaid.

4. Product under consideration : The product under consideration is Vitamin C classified under Customs Sub heading No. 2936.27 of the Customs Tariff Act,1975 and under No. 2936.27.00 of ITC(HS) classification. The classification is however only indicative and is not binding on the scope of the present review.

5. Dumping : The petitioner has provided reasonable information about normal value of Vitamin C in China and Japan and its export price based upon the data compiled by Director General of Commercial Intelligence and Statistics,Govt of India. Providing reasonable evidence in respect of steep decline in export prices, the petitioner have alleged higher dumping margin compared to the same during the earlier period of investigation.

6. Thus there is sufficient primafacie evidence that dumping margin in respect of import of Vitamin C from China and Japan during the current period of investigation has increased as compared to the same considered in the findings notified on 25.5.98.

7. Injury : The petitioner have provided reasonable evidence of additional injury suffered by them on account of further decline in export prices from the aforesaid countries. Thus the effect of Anti-Dumping Duty already imposed on the product in question has got nullified by further reduction of prices by Chinese and Japanese exporters. There is also primafacie evidence of price depression as the domestic industry have to match their prices with export prices and this has led to increase in loss suffered by the petitioner.

8. There is primafacie evidence that the domestic industry of Vitamin C in India is suffering from injury caused by further reduction in export price by the Chinese and Japanese suppliers and the present injury margin is higher than the same in the previous findings quoted above.

9. Procedure : The Designated Authority, therefore, initiates review of final findings notified vide notification No. 10/1/97-ADD dt. 25.5.1998 under the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995.

10. The period of investigation for the purpose of present review is Ist April,1998 to 31st December,1998.

11. Known exporters and importers and the domestic industry are being addressed separately so as to obtain relevant information in the form and manner prescribed. Other interested parties are advised to make their submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner to :

Mrs. Rathi Vinay Jha,
Designated Authority & Additional Secretary
Ministry of Commerce
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

12. Time Limit : Any information relating to present investigation should be sent in writing so as to reach the authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The know exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.

13. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limit set out.

14. In case where any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may records its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999.